रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 108] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 21, 1997/ फाल्गुन 2, 1918
No. 108] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 21, 1997/PHALGUNA 2, 1918

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1997

का.आ. 134(अ):—केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269पख की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना का. आ. 684(अ), तारीख 24 सितम्बर, 1986 द्वारा दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास समुचित प्राधिकरणों का गठन किया था;

और बोर्ड के आदेश सं. 1996 का 148, तारीख 11 अक्तूबर, 1996 द्वारा श्री पी. मिश्रा, सदस्य, समुचित प्राधिकरण, मुम्बई के स्थान पर श्री वी. एस. वाही, आयकर आयुक्त (अपील-I), मुम्बई को सदस्य, समुचित प्राधिकरण, मुम्बई के रूप में तैनात किया गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269पख की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. का. आ. 684(अ), तारीख 24 सितम्बर, 1986 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तंभ 2 में, "समुचित प्राधिकरण, मुम्बई", से संबंधित क्रम सं. 2 के सामने आने वाली मद (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(ii) श्री वी. एस. वाही, आयकर आयुक्त।"

[फा. सं. 316/52/96-ओ. टी.]

अरविन्द कुमार, अवर सचिव

पाद टिप्पण :—मूल अधिसूचना का.आ. सं. 684(अ), तारीख 24 सितम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किया गया है और उसमें अंतिम संशोधन का.आ.सं. 12(अ), तारीख 6 जनवरी, 1997 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 1997

S.O. 134(E).— Whereas in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 269UB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government constituted the appropriate authorities Delhi, Bombay, Calcutta and Madras vide notification S. O. 684(E) dated the 24th September, 1986;

And whereas Shri V.S. Wahi, Commissioner of Income-tax (Appeal-I), Mumbai has been posted as Member Appropriate Authority, Mumbai vide Board's Order No. 148 of 1996 dated the 11th October, 1996 in place of Shri P. Misra, Member, Appropriate Authority, Mumbai;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 269UB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. S. O. 684(E) dated 24th September, 1986, namely:—

In column 2 of the Table to the said notification, for item (ii) occurring against serial number 2 relating to "Appropriate Authority, Bombay", the following item shall be substituted namely:—

"(ii) Shri V. S. Wahi, Commissioner of Income-tax."

[F. No. 316/52/96-OT]

ARVIND KUMAR, Under Secy.

Foot Note :—The principal notification has published vide S.O. No. 684(E) dated 24th September, 1996 and last amended vide S.O. No. 12(E) dated 6th January, 1997.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997